

## कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

### कार्यालय आदेश

माह **मई, 2023** में मुख्यालय एवम् वाहय स्थित न्यायालयों में अवकाश के दिनों में रिमाण्ड का कार्य निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी द्वारा निम्नानुसार सम्पादित किया जायेगा –

क्र०सं०	नाम अधिकारी	माह
1.	संजय सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़। (मुख्यालय हेतु)	मई, 2023

- सुश्री अवन्तिका सिंह चौधरी, सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारचूला के न्यायालयों का रिमाण्ड से संबंधित कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़, वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ एवम् सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट के उप मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारचूला व न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट के न्यायालयों से संबंधित रिमाण्ड का कार्य मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

माह **जून, 2023** में मुख्यालय एवम् वाहय स्थित न्यायालयों में अवकाश के दिनों में रिमाण्ड का कार्य निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी द्वारा निम्नानुसार सम्पादित किया जायेगा –

क्र०सं०	नाम अधिकारी	माह
1.	सुश्री पूनम टोडी, सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़। (मुख्यालय हेतु)	जून, 2023

1. सुश्री अवन्तिका सिंह चौधरी, सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारचूला के न्यायालयों का रिमाण्ड से संबंधित कार्य सम्पादित किया जायेगा।
2. सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
3. वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ एवम् सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़, वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ एवम् सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के न्यायालय से संबंधित रिमाण्ड का कार्य सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
5. सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट के उप मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडीहाट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारचूला व न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट, के न्यायालयों से संबंधित रिमाण्ड का कार्य मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

दिनांक—29—04—2023

(संजय सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
पिथौरागढ़।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

पत्रांक      / 2023

दिनांक—29—04—2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, पिथौरागढ़।
2. श्रीमान् वरिष्ठ सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।
3. श्रीमान् सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़/डीडीहाट/धारचूला/गंगोलीहाट।
4. श्रीमान् ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पिथौरागढ़ एवम् डीडीहाट।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
पिथौरागढ़।